



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1307-पें0एवंआर0-28/पाकालि/22-60-पी/98(टी0सी0-1), दिनांक : 17 सितम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008, जिसे उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 397-पी0एण्डआर0-28/पाकालि/2009-60पी0एण्डआर0/98, दिनांक 02 मार्च 2009 द्वारा सम्पूर्णता में अंगीकृत किया गया था, में प्राविधानित अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तर-9 (एक्स ग्रेसिया एक मुश्त कम्पेन्सेशन) की व्यवस्था को भी कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत कर लिया गया जबकि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एक औद्योगिक अधिष्ठान होने के कारण इसके कार्मिकों पर **Employees Compensation Act-1923** पूर्व से ही लागू है और इसमें प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत किसी भी कार्मिक की कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर **Employees Compensation Act-1923** के अन्तर्गत कम्पेन्सेशन की धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जाता रहा है।

एतद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2022 को सम्पन्न 183वीं बैठक में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 397-पी0एण्डआर0-28/पाकालि/2009-60-पी0एण्डआर0/98, दिनांक 02.03.2009 द्वारा अंगीकृत शासनादेश संख्या : सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-9 में प्राविधानित एक्सग्रेसिया एक मुश्त कम्पेन्सेशन की व्यवस्था को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन निर्गमन की तिथि से निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. कार्यालय ज्ञाप संख्या : 397-पी0 एण्डआर0-28/पाकालि/2009-60-पी0एण्डआर0/98, दिनांक 02.03.2009 द्वारा अंगीकृत शासनादेश संख्या : सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-9 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व के प्रकरण पुनरोद्घाटित (Re - Open) नहीं किये जायेंगे।
2. उक्त सीमा तक कारपोरेशन का कार्यालय ज्ञाप संख्या : 397-पी0एण्डआर0-28/पाकालि/2009-60-पी0 एण्डआर0/98, दिनांक 02.03.2009 संशोधित माना जायेगा।
3. कार्यालय ज्ञाप संख्या : 397-पी0एण्डआर0-28/पाकालि/2009-60-पी0एण्डआर0/98, दिनांक 02.03.2009 में निहित अन्य शर्तें एवं नियम यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1307-पें0एवंआर0-28/पाकालि/22 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/ आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।

7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 10 अगस्त, 2022 को सम्पन्न 183वीं बैठक के मद संख्या-183(12) के सम्बन्ध में।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(आनन्द श्रीवास्तव)

अनु सचिव(पै०एवंआर०)